बिहार सरकार

परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना ।

बिहार– पश्चिम बंगाल एवं बिहार–उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यीय मार्ग पर बस परिचालन परमिट हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक सूचना ।

पत्रांक– 4/STA–P3–232/2012 परि0–7375 दिनांक– 20/12/16

निदेशानुसार सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक दिनांक 30.12.2016 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में पुराना सचिवालय स्थित अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद–सह–अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में आहूत की गई है। उक्त बैठक में बिहार–पश्चिम बंगाल एवं बिहार–उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परमिट स्वीकृति/नवीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लिया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि दिनांक–15.12.2016 को आहूत राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में बिहार–पश्चिम बंगाल अन्तर्राज्यीय मार्ग पर कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी कि उपर्युक्त मार्ग पर कार्यालय द्वारा तैयार किया गया मेधा क्रमांक की सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये मेधा सूची 4 माह पूर्व समर्पित साक्ष्यों के आधार पर तैयार की गई हैं । जबकि वर्तमान में स्थितियाँ अलग हैं तथा मेधा क्रमांक को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये जाने की बात वाहन स्वामियों द्वारा की गयी है ।

अतः मामले के समीक्षोपरान्त बिहार राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा इस विचार करते हुए यह निदेश देने की कृपा की है कि प्राप्त आवेदनों के मेधा क्रमांक में वर्तमान स्थिति के आधार पर परमिट स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाना समुचित होगा।

इस हेतु मेधा क्रमांक की सूची तैयार करने हेतु वांछित **कागजात** निम्न प्रकार हैं एवं उनको दिये जाने वाले अंक उनके सम्मुख अंकित है :–

क्रम सं0	आवश्यक कागजात	निर्धारित अंक
1	वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र (मॉडल वर्ष के आधार पर)	2016 के लिए–11, 2015– 09, 2014– **07**, 2013– 05, 2012– 03, 2011– 01, 2010– **01** (अंतिम सात वर्ष तक पुराने मॉडल के लिए 01 **अंक**)
2	ए0सी0 वाहन	02 अंक
3	डीलक्स वाहन	02 अंक
4	टॉयलेट वाहन	01 अंक
5	अनुसुचित जाति / अनुसुचित जनजाति	03 अंक
6	भूतपूर्व सैनिक	03 अंक
7	पिछड़ा वर्ग	01 अंक
8	अल्पसंख्यक	01 अंक
9	महिला	01 अंक
10	स्नातकोत्तर	03 अंक
11	स्नातक	02 अंक
12	इन्टर	01 अंक
13	मैट्रिक	01 अंक
14	भारी वाहन चालक अनुज्ञप्ति	02 अंक
15	विकलांग 40 प्रतिशत से अधिक	02 अंक
*	चेचिस एवं इंजन नं0 पर आवेदित आवेदनों के मॉडल वर्ष 2016 के **लिए 10** अंक दिया जायेगा ।	

उपर्युक्त वर्णित आवश्यक कागजात दिनांक 26.12.2016 तक **परिवहन** विभाग के सिंगल विन्डो (एकल खिड़की) काउन्टर पर अपराह्न 4:00 बजे तक **उपलब्ध** कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी प्रकार के कागजात **स्वीकार** नहीं किये जायेगें।

अंतिम रूप से यह भी अवगत कराना है कि परमिट हेतु **पूर्व में** प्राप्त आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार के अभिलेख राज्य परिवहन प्राधिकार की **बैठक** के दौरान स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

बैठक की कार्यावली पूर्ववत् ही रहेगी जो दिनांक 09.12.2016 **को विभागीय** वेवसाईट http://transport.bih.nic.in पर पूर्व में अपलोड की जा चुकी **है** ।

20/12/2016

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

STA-Miting-P-82